

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक 20 SEP 2017

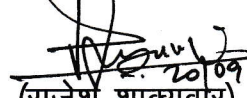
आदेश

क्रमांक एफ 11-03/2017/2/34 :: राज्य शासन द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 15.06.2017 की कंडिका-2 के संबंध में तकनीकी समिति की आठवीं बैठक दिनांक 18.09.2017 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए एतद् द्वारा उक्त कंडिका को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करता है :-

“प्रमुख अभियंता की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 18.09.2017 में अनुशंसा की गई कि विभाग में कम लागत के कार्यों के त्वरित क्रियान्वयन हेतु निविदा आमंत्रण के अधिकार संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री को दिए जाएं। राज्य शासन इस अनुशंसा को स्वीकार करते हुए एतद् द्वारा रुपये 20.00 लाख तक की लागत के एपेंडिक्स 2.10 तथा फार्म-“एफ” आधारित निविदाओं के आमंत्रण के अधिकार कार्यपालन यंत्री को सौंपता है। ऐसी निविदाओं की स्वीकृति विभागीय नियम प्रक्रियाओं एवं वित्तीय संहिता में वर्णित शक्तियों के अनुसार की जाए।”

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(राजेश शाक्यवार)

उप सचिव

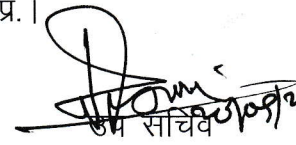
मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्रमांक एफ 11-03/2017/2/34  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 20 SEP 2017

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, विध्याचल भवन, म.प्र. भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/वि.यां., भोपाल।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल म.प्र.।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड म.प्र.।

  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग